(क) स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु महाविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड /विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के सम्बधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर , बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

(ख) महाविद्यालय में प्रवेश की अधिकतम संख्या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निश्चित की गयी है, इसमें वृद्धि उच्च शिक्षा संचालनालय की अनुमति के बिना संभव नहीं है।

(ग) प्रवेश गुणांनुक्रम के आधार पर होगा तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पाल्य के लिए प्रवेश हेतु स्थान आरक्षित होंगे। स्थानीय आवेदकों को प्रवेश में प्राथमिकता होगी।

(घ) प्रवेश हेतु चयनित आवेदकों को प्रवेश सूची में निर्धारित, अंतिम तिथि तक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी।

(ड) निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा।

(च) घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क 100 रुपये अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा तथापि ऐसे प्रकरणों मे 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(छ) स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति(डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो तथा प्रवेशार्थी से वचन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

2. *पी.जी.डी.सी.ए./डी.सी.ए में प्रवेश -*

स्ववित्तीय योजना के अन्तर्गत संचालित पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. कक्षा में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा 2016 में उत्तीर्ण आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर विचार करते हुए, स्थान रिक्त रहने पर घटते क्रम में अन्य आवेदनों पर विचार किया जावेगा। वर्ष 2016 के स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को पी.जी.डी.सी.ए. में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

3. *प्रवेश की पात्रता*

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी /राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारियों जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में हैं, उके पुत्र /पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तनुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

(छ) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय /महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

4. *स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश*

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5. *स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित प्रवेश -*

(क) बी.कॉम. /बी.एस–सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों की क्रमशः एम.कॉम./एम.ए./प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर, बी.एस–सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम.ए. में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. *बाह्य आवेदकों का प्रवेश -*

(क) स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय /स्वाशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता हैं। किंतु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वाशासी महाविद्यालयमें पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने तथा विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण प्राप्त करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

(ख) छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वाशासी महाविद्यालय से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वाशासी महाविद्यालय से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

(ग) विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

(घ) अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

(ड) स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी किन्तु बाह्य आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(च) पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रुप में मान्य किया जावेगा।

7. प्रवेश हेतु अर्हताएँ -

(क) किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय को कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिसमें प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया हैं, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

(ख) जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों / अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने के गंभीर आरोप हो / चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र–छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ग) महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले / रैगिंग के आरोपी छात्र–छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है।

(घ) स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष 22 वं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी। परंतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / विकलांग विद्यार्थियों / महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

(ड) पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाली कक्षाओं में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्त्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाली कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

(च) किसी संकाय मेंस्नातक उपाधि प्राप्त छात्र / छात्राओं को इस महाविद्यालय के अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

विशेष:

(क) जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबुझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगी।

(ख) प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातर एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

8. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण -

उपलब्ध स्थान से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में होगा तथा अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग–अलग गुणानुक्रम सूची घोषित की जावेगी।

9. प्रवेश हेतु प्राथमिकता -

(क) प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

(ख) स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र / उत्तीर्ण स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

10. आरक्षण -

प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरुप निम्नानुसार होगा :–

(क) अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 12 प्रतिशत

तथा 32 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. वर्ग से भरी जावेगी। इस हेतु प्राचार्य एक पांच सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा. एवं अ.जा.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानुक्रम में भर कर सूची को सूचना पटल पर चस्पा करेंगे।

(ख) पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र – पुत्रियों तथा दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए सयुक्त रुप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे दिव्यांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

(घ) सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।

(ड) आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीद्वार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटिशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो अनारक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेगी, परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी हैं तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

(च) आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होंगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी ।

(छ) समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा।

11. अधिभार -

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जावेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

1. एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स /गाइड्स/रोवर्स/रेजर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. ''बी'' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	''सी'' सर्टिफिकोट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(ड)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी/एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(च)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(छ)	राष्ट्रपति स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(झ)	ड्यूक आफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी.कैडेट	10 प्रतिशत
(न)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को	15 प्रतिशत

2. आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत

3. खेलकूद /साहित्यिक / सांस्कृतिक /क्विज / रुपांकन प्रतियोगिताएँ :

1. लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग /क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम , द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्यों को 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत

2. उपयुक्त कंडिका 3(1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग, राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्यों को 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत

4. भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित / संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

5. भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत
विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत

6. छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :

(क) छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

7. जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

8. *विशेष प्रोत्साहन -*

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्टस अथारिटी आफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधें प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

1. इस प्रकार के प्रमाण – पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9.

प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

11. *संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन -*

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलंब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जावेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी। जिनके प्राप्तांक संबंधी विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के समकक्ष या उससे अधिक हो।

आचरण संहिता -

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा। विवरणिका में संलग्न वचनपत्र का अनिवार्य रुप से प्रवेश के समय भरकर प्रस्तुत करना होगा

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली–गलौज, मार पीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं शालीनता पूर्वक व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य है वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा मांगों को मनवाने राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम -

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी को 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी. / एन.एस. एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों को पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांति पूर्व ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।